खण्ड-182, अंक-3
गुरूवार, 21 चैत्र, शक संवत् 1879
(11 अप्रैल, 1957 ई0)

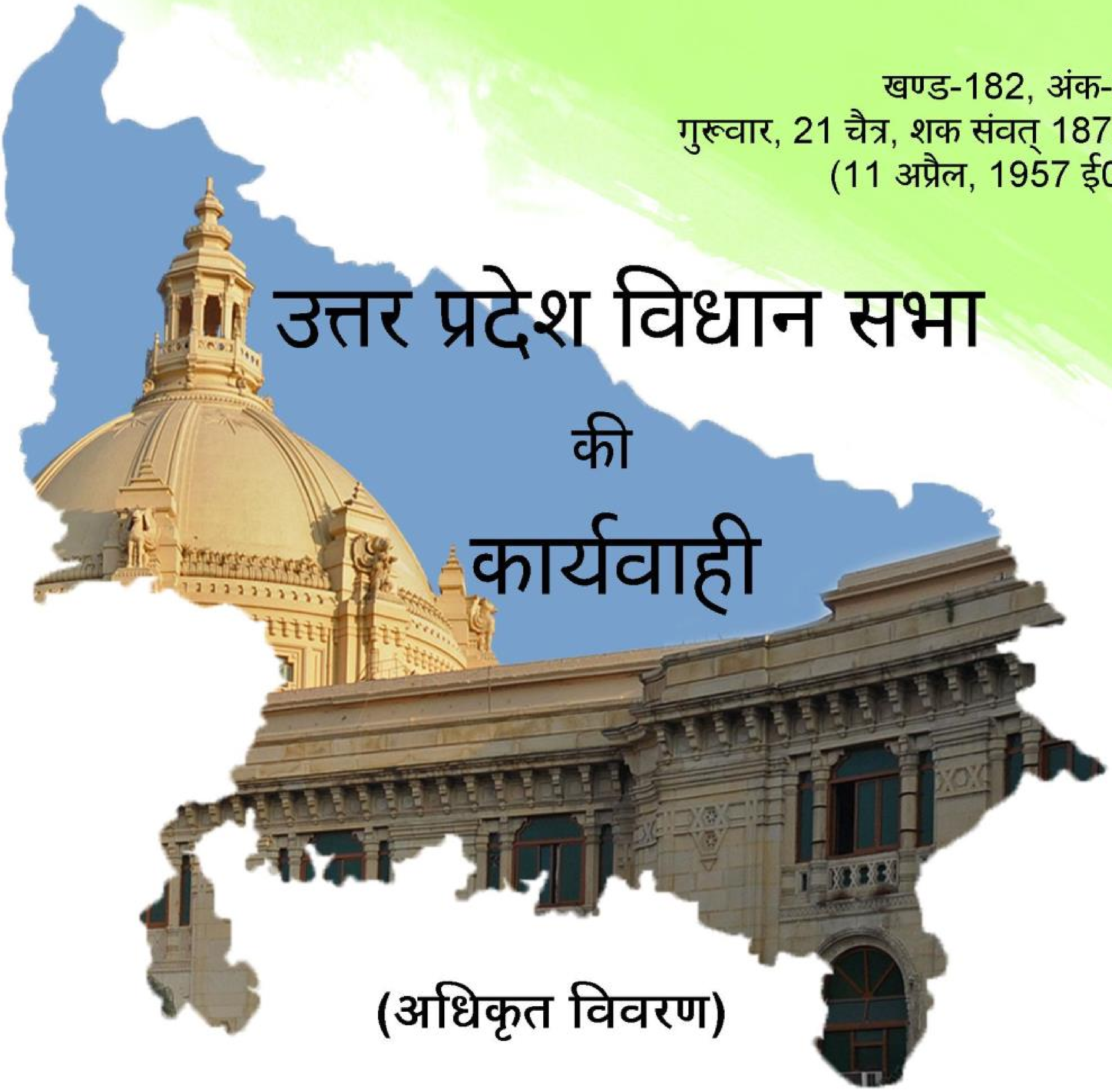

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 182 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २१ चैत्र, शकाब्द १८७९ (११ अप्रैल, १९५७ ई०)

विधान परिषद के माननीय सभापति तथा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के साथ श्री राज्यपाल विधान मंडल के समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषणार्थ, सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बज कर १५ मिनट पर पधारे ।

विधान सभा के निम्नलिखित ४१० सदस्य उपस्थित थे--

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आचार्य दीपांकर, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्द्रभूषण, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती , श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री

खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह बिष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जगेश्वर, श्री
जमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जितेंद्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजरी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द महेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री

देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानुप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावतीदेवी, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बासदेव, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धी सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजनारायण, श्री
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्र रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुराजतेज बहादुरसिंह, उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राज किशोर राव, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशन, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विन्दुमती दास, श्रीमती

विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवराम, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीतला प्रसाद, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त कण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

विधान मंडल के समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल का अभिभाषण

विधान मंडल के समवेत दोनों सदनों के समक्ष महामान्य राज्यपाल ने इस प्रकार अभिभाषण किया :—

"विधान परिषद के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान मंडल के सदस्यगण,

बड़ी ही खुशी और संतोष के साथ में इस नए विधान मंडल के इस प्रथम सत्र को संबोधित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं

और आप सबको निर्वाचकों का विश्वास प्राप्त करने के लिये बधाई देता हूं। निस्संदेह, हमें कुछ पुराने सदस्यों का वियोग अवश्य रहेगा जिन्होंने सभा के वाद-विवाद में महत्वपूर्ण योगदान किया है। साथ ही साथ हम यह भी आशा करते हैं कि वे नए सदस्य जो निर्वाचित हो कर आये हैं, उन उच्च परम्पराओं को बनाये रक्खेंगे जिनसे इस सभा का वाद-विवाद विशेषता प्राप्त करता है।

वयस्क मताधिकार के आधार पर अभी हाल में जो आम चुनाव हुए थे वे हमारे संविधान के अधीन अपने प्रकार के दूसरे थे। मेरी सरकार और व्यक्तिगत रूप से मैं संतुष्ट हूं कि यह कार्य ऐसे सुन्दर और सुव्यवस्थित रूप से हुआ है कि इसे संसार की सराहना प्राप्त हो रही है। हमारी जनता की सद्भावना और परम्परागत संस्कृति के लिये यह प्रशंसा का विषय है। इससे प्रकट होता है कि हमारा नया जनतंत्र स्वस्थ जीवनी शक्ति से काम कर रहा है।

इन निर्वाचनों ने सरकारी कर्मचारियों पर बहुत बड़ा भार और उत्तरदायित्व रखा। मुझे हर्ष है कि उन्होंने यह काम प्रशंसनीय रीति तथा निष्पक्षता से पूरा किया है। स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन सफल जनतंत्र के लिये आवश्यक हैं। इसीलिये मेरी सरकार ने निर्वाचन आयोग के परामर्श से सरकारी नौकरों को भलीभांति जता दिया था कि निर्वाचन के संबंध में उनकी कार्यगति बड़ी महत्वपूर्ण है, उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक है, और बैलेट पेपर की गोपनीयता रखनी चाहिये और थोड़ी भी शंका के लिये कोई भी आधार न रहने देना चाहिये। मेरी सरकार ने और हिदायतों के साथ-साथ यह भी आदेश दिया था कि निर्वाचन विधि के संबंध में किये गये अपराधों में मुस्तैदी और सख्ती से कार्यवाही की जाय, अपराधी चाहे कोई हो अथवा किसी भी राजनैतिक दल का हो।

मेरी सरकार को और मुझे संतोष है कि सभी सरकारी सेवकों ने बड़ी निष्पक्षता से अपने कर्त्तव्यों का पालन किया। अतः मैं उनके कार्य और उनकी कर्त्तव्यपरायणता को इस अवसर पर खुले रूप से मानता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं, मैंने डाक्टर सम्पूर्णानन्द को विधान सभा के बहुमत वाले दल के नेता के रूप में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। पहले भी एक बार ऐसे ही अवसर पर मैंने राजनीतिज्ञ, प्रज्ञावान्, प्रशासक तथा गंभीर विद्वान् के रूप में उनके गुणों का उल्लेख किया था। मुझे हर्ष है कि मैंने जो आशाएं प्रकट की थीं वे पूरी हुई। मुझे विश्वास है कि उनके पथ-प्रदर्शन में हमारे राज्य के प्रशासन को सफलता मिलेगी, जनता का कल्याण और समृद्धि होगी। मैं समझता हूं कि विधान मंडल के सभी सदस्यों का यही लक्ष्य है।

जनतंत्र की उन्नति में संलग्न जब हम कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने में भरपूर लगे हुये हैं, दूसरी ओर सीमा के पार की घटनाएं और बातें हमें चिंतित कर रही हैं। पाकिस्तान में लगातार 'जेहाद' की धुन चल रही है। भारत विरोधी प्रचार कम होते नहीं दिखायी पड़ते। अपनी परम्पराओं में निष्ठावान व्यक्तियों की भांति भारत की जनता और सरकार पाकिस्तान के प्रति मित्रता में अविचलित और अडिग हैं।

जहां तक कश्मीर का संबंध है, इस बात को छोड़कर कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था तथा वह जबरदस्ती और अवैधरूप से उसके कुछ भाग पर कब्जा किये है, कोई भी बात तै होने की नहीं है, और चाहे जिस दृष्टिकोण से देखा जाय, उस क्षेत्र में जिस पर कि वे कब्जा किये हुये हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि इस बात पर कोई सुलह नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि जब मैं यह कह रहा हूं कि हम सब इस बात में पूरी तरह से प्रधान मंत्री के साथ हैं तो मैं इस राज्य के प्रत्येक देश भक्त के विचार प्रकट कर रहा हूं।

मुझे खेद है कि भारत को सुरक्षा परिषद से आशानुकूल न्यायिक मनोभावना नहीं प्राप्त हुई है। हम तो केवल यही आशा कर सकते हैं कि अब भी सुरक्षा परिषद कश्मीर संबंधी हमारे मामले में न्यायपूर्ण विचार से काम लेगी और उन गम्भीर बातों को समझेगी जो

किसी ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप उत्पन्न हों, जिससे भारत के अविभाज्य अंग के रूप में कश्मीर पर आघात पहुंचे।

राज्य की स्थिति के संबंध में बात यह है कि नयी सरकार को आये इतना कम समय हुआ है कि मैं आगामी वर्ष के संबंध में कोई विधायक कार्यक्रम नहीं बता सकता। मुझे विश्वास है कि उसे बजट सेशन में उपयुक्त अवसर पर सदनों के सामने रक्खा जायगा। फिर भी मैं यह आवश्यक समझता हूं कि अभी हाल की सरकारी कार्यवाहियों के संबंध में आपको कुछ बताऊं।

सरकार का प्रमुख कार्य खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में जनसाधारण के जीवन स्तर के उत्थान, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए अपने साधनों का विकास करना रहा है।

खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में, राज्य के विभिन्न भागों में अनावृष्टि, बाढ़ तथा अतिवृष्टि के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में असंतोषजनक, किन्तु अस्थायी घटती-बढ़ती होती रही। फिर भी, केंद्रीय सरकार के सहयोग से मूल्य स्थिरीकरण नीति के अधीन बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से आया हुआ गेहूं मिलता रहा। इस प्रकार गेहूं के मिलने से उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा हुई तथा बाजारों में बढ़ते हुये मूल्य को रोकने में बहुत सहायता मिली। यदि मौसम अनुकूल रहा तो नयी रबी की फसल के आ जाने पर यह आशा की जाती है कि स्थिति बहुत कुछ सुधर जायगी तथा उचित स्तर पर मूल्य स्थिर हो जायेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण कार्यों की प्रगति तथा श्रमिकों और अन्य मध्यम वर्गों के लिए गृह-निर्माण के प्रति दिये गये प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री की मांग, अर्थात् लोहा, इस्पात, सीमेंट तथा कोयले के चूरे की मांग बढ़ गयी। इससे इन वस्तुओं की प्राप्ति और वितरण पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया। फिर भी ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है जिससे द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के अन्तर्गत बृहद् योजनाओं के निमित्त आवश्यक सामग्री का संभरण बिना किसी कठिनाई के चलता रहे।

भूमिहीन श्रमिकों को बसाने तथा बेरोजगार शिक्षितों को काम देने के लिये लखीमपुर-खीरी में जो उपनिवेशन योजना १९५४–५५ में आरम्भ हुई थी उसने पर्याप्त प्रगति की है और मेरी सरकार ने इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर दूसरे पंचवर्षीय आयोजन के अधीन पीलीभीत जिले में लगभग १०,००० एकड़ भूमि के पुनरुद्धार की वैसी ही योजना प्रारम्भ करने का भी निश्चय किया है।

१९४८ में शुरू किये गये 'अधिक जूट उपजाओ' आन्दोलन को द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन की अवधि में और अधिक विस्तृत करने का प्रस्ताव है। रुई की खेती के अन्तर्गत कृषि-क्षेत्र की अभिवृद्धि स्थिररूप से होती आ रही है। मिर्जापुर जिले में लाख के उत्पादन और प्रदर्शन के दो सरकारी फार्मों के खुल जाने के कारण लाख की खेती में भी समुचित प्रोत्साहन मिला है।

खांडसारी और दानेदार शक्कर के उत्पादन की वृद्धि के लक्ष्य से चीनी मिलों के संरक्षित क्षेत्रों में प्रगाढ़ उत्थान कार्य हुआ है। गन्ने की खेती में भी बड़े तेजी से वृद्धि हुई है। राज्य में चीनी की बढ़ती हुई पैदावार की खपत के लिये, जो बहुत हद तक सिंचाई सुविधा की उन्नत व्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है, सहकारिता के आधार पर चार नई चीनी मिलों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ग्राम्य–ऋण–प्रदान संगठन को सशक्त करने के दृष्टिकोण से, सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहित करना मेरी सरकार का सतत् प्रयास रहा है। कृषि संबंधी उत्पादित वस्तुओं के लिये उपयुक्त बाजार ढूंढना, राज्य तथा उत्पादक दोनों ही का विषय है। ऐसा करने के लिये क्रय-विक्रय समितियों का निर्माण हाथ में लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत

५५ प्रोसेस समितियां तथा १५० क्रय-विक्रय समितियां बनाने का विचार किया जा रहा है। पिछले वर्ष के निमित्त निर्धारित चालीस क्रय-विक्रय समितियों के लक्ष्य को हमने पूरा कर लिया है, और ११ प्रोसेस समितियां अभी बन रही हैं।

मेरी सरकार ने कृषि-ऋण (सहायता एवं प्रतिभूति) निधि तथा सहकारी विकास निधि स्थापित करन का निश्चय किया है। इनमें से पहली कृषि-ऋण के क्षेत्र में सहायता पहुंचायेगी। दूसरी ओर विकास निधि द्वारा सरकार प्रोसेसिंग तथा क्रय-विक्रय में संलग्न सहकारी समितियों की अंश-पूंजी में सम्मिलित हो सकेगी तथा उनको आर्थिक सहायता दे सकेगी।

मेरी सरकार पशु सुधार समस्या की ओर ध्यान देती रही है। अच्छे सांड़, भेड़, बकरे तथा कुक्कुट सारे राज्य में दिये जा रहे हैं, जिससे कि ऐसे क्षेत्रों की वृद्धि हो, जहां से अविकसित क्षेत्रों में पूर्ति और वितरण किया जा सके। पहाड़ों में भेड़ों के सुधार तथा ऊन के उद्योग की वृद्धि करने के लिये कार्यवाही की गयी है। विद्यमान दो गोसदनों के अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के अधीन प्रत्येक जिले में आठ राज्य गोसदन तथा छोटे गोसदन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मछुओं को जीविका के नवीन साधन प्रदान करने के लक्ष्य से ५ सहकारी समितियां खोली गयी है और बीज वाली मछलियों की व्यवस्था करने के लिये ३५ नर्सरियां स्थापित की गई हैं। इस वर्ष मत्स्य संवर्धन विज्ञान की योजना को विस्तृत करने का विचार है। यह संभव है कि आने वाले वर्षों में हम मत्स्य उत्पादन के संबंध में न केवल आत्म-निर्भर ही हो जायेंगे बल्कि अन्य राज्यों की मांगें भी पूरी कर सकेंगे।

मुझे हर्ष है कि सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने में पर्याप्त प्रगति हुयी है। विगत दो वर्षों में सिंचाई की दस बड़ी और कितनी ही छोटी योजनाओं और चार सौ नलकूपों का निर्माण आरम्भ हुआ था। यह आशा की जाती है कि इस वर्ष के आखिर तक हम राज्य के सिंचाई के क्षेत्र में लगभग ३ लाख एकड़ और बढ़ा लेंगे। किसानों द्वारा सम्पन्न छोटी निर्माण योजनाओं से ३,३६,२९१ एकड़ भूमि सींची गयी, जिससे ६७,२५८ टन खाद्यान्नों की वृद्धि हुई। १९५७-५८ में ऐसा कार्यक्रम विस्तृत किया जायगा, जिससे ७५,७०० एकड़ अतिरिक्त भूमि के निमित्त सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था हो सकेगी।

विगत वर्ष जितनी भी बाढ़ नियंत्रण योजनाएं आरम्भ की गयी थीं उनकी प्रगति संतोषजनक है। प्रथम आयोजन की समाप्ति तक तीन करोड़ रुपये की लागत के निर्माण कार्य पूर्ण हो गये थे। बांधों के पूरे किये जाने के अलावा लगभग पांच सौ गांवों का तल अर्थात् लेविल ऊंचा किया जा चुका था। इस सबसे लगभग पांच लाख एकड़ भूमि का संरक्षण हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में ९.६ करोड़ रुपये की लागत की और बहुत सी बाढ़-नियंत्रण योजनाए जारी रहेंगी तथा नयी योजनाओं का सूत्रपात किया जायगा। १९५७-५८ के बजट में १,५०० गांवों के स्तर को ऊंचा करने के लिये तथा लगभग ४०,००० एकड़ भूमि के पुनरुद्धार के प्रयोजन से नालियों के निर्माण के लिये तथा कुछ महत्वपूर्ण नगरों को नदी के कटाव से सुरक्षित करने के लिये ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

इस राज्य में विद्युतीकरण का कार्यक्रम विगत वर्ष संतोषजनक रूप से चलता रहा। ६,६४० किलोवाट शक्ति की वृद्धि हुई है तथा ७३२ प्रमुख तथा ग्रामीण उप-स्टेशन लगभग पूरे हो रहे हैं। यमुना-हाइडिल-योजना, गंगा ट्रान्समिशन लाइन्स का स्तर ४, हरदुआगंज का नया स्टीम स्टेशन, बुन्देलखंड में पाइलट हाइडिल पावर स्टेशन, ग्रामीण एवं नागरिक विद्युतीकरण योजना तथा कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन की प्रसार योजना में कार्य जारी है। गढ़वाल के लिए शक्ति सप्लाई करने के लिए स्टीम स्टेशन के निर्माण को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। रिहन्द बांध पर कार्य जोरों से चल रहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रथम पंचवर्षीय आयोजन में ६६४ मील सड़कों की व्यवस्था के स्थान पर निर्धारित समय के पूर्व ही ९५९ मील सड़कें बना ली हैं। स्थानीय सड़कों का पुनर्निर्माण भी शीघ्रता से हो रहा है। प्रमुख पुलों का निर्माण-कार्य उल्लेखनीय रहा है। योजना में ९ पुलों की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु ९५ लाख रुपये की लागत से २६ बड़े पुल बनाये जा चुके हैं।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के आरम्भ काल में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त कार्यशीलता, दृष्टिगोचर नहीं होती थी। किन्तु विगत दो वर्षों में उद्योगीकरण पर अधिक ध्यान दिया गया है। बहुत से उद्योगों को अपनी क्षमता की वृद्धि के निमित्त प्राधिकृत किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन काल में निजी क्षेत्र में सीमेंट, स्विचगियरों और ट्रान्सफार्मरों के उत्पादन तथा वैगनों के निर्माण तथा अन्य प्रोजेक्टों से संबंधित उद्योगों को चलाने का विचार है।

सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का सूत्रपात किया है किन्तु खेद है कि हमारे राज्य को कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। मेरी सरकार इस राज्य में नकली रबर और अल्मोनियम के उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती रही है। आशा की जाती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हो जायंगे।

उत्पादन की नयी शाखाओं के संस्थापन के बारे में कुछ प्रोजेक्ट हमारी सरकार के विचाराधीन हैं। केन्द्रीय सरकार ने कानपुर में रेयन का सूत, फिलामेंट उद्योग तथा वस्त्रोत्पादक मशीनरी के उत्पादन, तथा वाराणसी जिले में सोडा-ऐश और अमोनियम क्लोराइड उद्योगों के लाइसेंस स्वीकृत कर दिये हैं। चुर्क में स्थित सरकारी सीमेंट फैक्ट्री तथा लखनऊ में स्थित प्रेसीशन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी के प्रसार की योजनाएं चालू होने वाली हैं। छोटे पैमाने पर किये जाने-वाले तथा कुटीर उद्योगों के प्रति आर्थिक सहायता के रूप में ऋण तथा अनुदान देने की व्यवस्था की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में ३१ लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

१९५४ में स्थापित वित्तीय निगम ने मध्यम एवं लघुवर्गीय उद्योगों की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। साइकिल के पुर्जों, तालों, कृषि उपकरणों, डाकखानों में प्रयोग होने वाली तराजुओं, बिजली के बल्बों, लकड़ी के पेचों तथा अन्य उद्योगों के निमित्त इसने ऋण मंजूर किये हैं।

विगत वर्ष मैंने जिओलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के कार्य की अनुपूर्ति के निमित्त भू-गर्भ-शास्त्र एवं खनिज कार्य के संचालक विभाग की स्थापना के बारे में कहा था, जिससे कि राज्य में खनिज साधनों का विस्तीर्ण सर्वेक्षण हो सके। इस संचालक विभाग ने राज्य के विभिन्न भागों में अनेक सर्वेक्षण किये हैं जिनसे महत्वपूर्ण आर्थिक सफलताएं मिली हैं, जैसे अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलों में तांबे का अन्वेषण, टेहरी-गढ़वाल क्षेत्र में जिप्सम का अन्वेषण, बांदा जिले में क्ले और लाइम स्टोन का अन्वेषण तथा देहरादून क्षेत्र में सीसे का अन्वेषण। इस विभाग का ध्यान राज्य में लाइम-स्टोन की खानों के भली-प्रकार सर्वेक्षण की ओर संलग्न है। इससे उन दो सीमेंट के बड़े कारखानों का, जिन्हें उत्तर प्रदेश में प्रस्थापित करने का प्रस्ताव है, सम्भरण हो सकेगा।

कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के गुणांकन (quality marking) की योजना आगरा के जरी और कसीदा, मुरादाबाद की पक्की कलई, नजीबाबाद और अल्मोड़ा के कम्बलों, मेरठ के खेल के सामान तथा वाराणसी के सोने के तारों पर भी लागू की गयी। इस योजना को कुछ और उद्योगों पर भी लागू करने का विचार है, जैसे आगरा का जूतों का उद्योग, वाराणसी का रेशमी कढ़ाई का उद्योग तथा भदोही के ऊनी कालीनों का उद्योग।

श्रमिकों के कल्याण की उन्नति के लिए किए गये उपायों में श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। श्रमिक झगड़ों के निपटाने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं। श्रम-विधियों के प्रवर्तन की सुचारु व्यवस्था की गयी है। श्रमिकों के लिए निवास-गृहों का निर्माण हो रहा है। समस्त उद्योगों में न्यूनतम वेतन दर का निर्धारण किया जा रहा है, और फैक्ट्रियों में श्रमिकों के निमित भविष्य निधि की व्यवस्था की जा रही है। अब ऐसे ४५ केन्द्र हैं जहां श्रमिकों को अन्तर्गृह तथा बहिर्गृह खेलों, चिकित्सकीय एवं प्रसूति कल्याण, पुस्तकालय, बालचर-कार्य, महिलाओं के लिए हस्तशिल्प प्रशिक्षण, रोगियों और बालकों के लिए पुष्ट भोजन, आमोद-प्रमोद के कार्य-कलापों तथा अन्य मनोरंजन की सुविधाएं दी जाती हैं।

मेरी सरकार ने चीनी के मिलों के श्रमिकों की सुविधा के लिए आधुनिक प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया है। इस सम्बन्ध में १९५६ के अन्त तक केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं थी। सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन राज्य के लगभग सभी औद्योगिक नगरों में उपनिवेशन निर्माण का एक वृहत कार्य-क्रम है।

समाज सुधार की ओर मेरी सरकार का विशेष ध्यान गया है। अकिंचन एवं असमर्थ व्यक्तियों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की योजनाएं क्रियाशील की जा रही हैं। महिला कल्याण योजनाएं कई जिलों में प्रचलित की गयी हैं। सरोजनी नगर, लखनऊ में तथा सहारनपुर में गृह-अर्थ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा संयुक्त राष्ट्र के अधीन खाद्यान्न कृषि संगठन के गृह अर्थ-व्यवस्था के विशेषज्ञ इस प्रशिक्षण एवं अन्य कल्याण कार्य-क्रम में परामर्श करते हैं। अकिंचन एवं अनाथ बालकों को विभिन्न व्यापारों में शिक्षा देने के लिए एक आदर्श गृह कानपुर में तथा दूसरा मथुरा में स्थापित किया गया है। इनमें अपहृत तथा भगाई हुई महिलाओं को शरण देने के निमित्त एक संरक्षण गृह देहरादून में स्थापित किया गया है। बहरों, गूंगों और अन्धों के निमित्त स्कूलों तथा अन्य बहुत सी सामाजिक संस्थाओं को सरकारी अनुदान बहुत बड़ी संख्या में दिए गए हैं।

मेरी सरकार ने हर प्रकार से चिकित्सकीय सहायताओं को विस्तृत करने का प्रयास किया है। बहुत से ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय खोले गए हैं। क्षय, मलेरिया कालाजार तथा अन्य ऐसी ही बीमारियों से लोगों को बचाने की व्यवस्था की गयी है। सरकार का यह लक्ष्य है कि किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने के लिए ५ मील से अधिक न जाना पड़े। राजकीय चिकित्सालयों में चीर-फाड़ की सुविधायें बढ़ाने के अलावा इस वर्ष २० एलोपैथिक और १० आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालयों को स्थापित करने का विचार है। लखनऊ में डेन्टल कालेज के विस्तार तथा मेडिकल कालेज में आवासिक शिक्षण के अभिनवीकरण के कार्य-क्रम विचाराधीन हैं।

स्वायत्त शासन की मूल इकाई गांव पंचायतें हैं जिनकी संख्या ३६,१३९ से बढ़कर ७२,४२८ हो गयी हैं। इन पंचायतों ने अच्छा रचनात्मक कार्य किया है। ये ग्राम पंचायतें देहातों में चिकित्सकीय सहायता देने मे भी सहायक सिद्ध हुई हैं।

१ जनवरी, १९५७ से, वाराणसी जिले में भदोही को छोड़ कर, अन्य समस्त द्वितीय श्रेणीय के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्रथम श्रेणी के बना दिए गए हैं।

हम केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय जल-सप्लाई तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के अधीन वित्तीय सहायता के लिए कृतज्ञ हैं, इससे हमने ३३ नये पानी-घर, ८ जल-निष्कासन निर्माण कार्य पूरे किए हैं तथा १४ विद्यमान पानी-घरों तथा ८ जल-निष्कासन निर्माण कार्यों का पुनःसंघटन किया है। वर्तमान कार्य-क्रम के पूर्ण होने पर ७३ नगरों में जल-वितरण की व्यवस्था हो जायगी २६ नगरो में आधुनिक-जल-निष्कासन सुविधाएं हो जायंगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन और नगरों में भी इस योजना को विस्तार करने का प्रस्ताव है। सरकार ने केन्द्रीय सरकार को विभिन्न योजनाओं के सहानुमोदन से गृह-निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया है।

अल्प-आय-वर्ग की गृह-निर्माण योजना, औद्योगिक-गृह-निर्माण योजना तथा श्रमिकों की गृह-निर्माण योजना संतोषपूर्ण ढंग से चल रही है ।

पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित जनों का पुनर्वासन प्रायः समाप्त हो गया है । फिर भी, नगरों में रहने वाले कुछ विस्थापित जनों को काम दिलाने की समस्या अभी बाकी है । उसके लिए यह निश्चय किया गया है कि मध्यम श्रेणी के उद्योग चालू किए जायं तथा छोटे उद्योगपतियों को उनकी पूंजी की लागत के ५० प्रतिशत तक ऋण दिया जाय । लघु उद्योगों की दशा में भूमि, मशीनरी, इमारत तथा कच्चे सामान में लगाई गई पूंजी के ७५ प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकता है । इस योजना के अधीन नैनीताल में एक कताई मिल तथा हस्तिनापुर में एक कताई मिल तथा एक चीनी मिल संस्थापित करने का प्रस्ताव है । यह कार्य ऐसे विभिन्न स्थानों में जहां विस्थापित व्यक्ति अधिक संख्या में हों बहुत से छोटे उद्योगों के अतिरिक्त होगा । इन प्रोजेक्टों से ३,००० विस्थापित परिवारों को एवं अन्य लोगों को अप्रत्यक्षतः रोजगार दिलाने के अलावा काम मिल सकेगा ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन जोकि अब तक राज्य सरकार द्वारा सम्पादित होता था अब केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रचारित एक अध्यादेश के अधीन केन्द्रीय सरकार के पूर्ण नियंत्रण में हस्तान्तरित हो गया है । इस अध्यादेश के अधीन अब केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों में संघटन को चलाती है ।

हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में बनों का महत्वपूर्ण स्थान है । अभी हाल के वर्षों में हमारे पौदे और बन लगाने के कार्य-क्रम की बहुत प्रगति हुई है, यद्यपि अभी बहुत कुछ और करना है

१९४६–४७ तक २,४७७ एकड़ भूमि में बन लगाए गए। १९५५–५६ में यह क्षेत्र बढ़ कर २२,२२३ एकड़ हो गया ।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के कार्यकाल में विभाग द्वारा आरम्भ की गयी पौधे लगाने की योजनाएं भली-भांति निर्धारित सीमाओं तक पूरी हो गई । भूमि प्रबन्धक मंडल द्वारा किये गये अच्छे कार्यों का और विशेषतः राजस्थान की सीमा पर किए गए कार्यों, का उल्लेख किया जा सकता है । अगले पांच वर्षों में इन सभी योजनाओं से सम्बद्ध कार्य बढ़ाया जायगा । नयी योजनाओं जैसे कि साल के बनों का पुनरुत्थान तथा गंगा, जमुना, गोमती और राप्ती के जलागम क्षेत्रों में बन लगाने की योजनाएं भी हाथ में ली जायंगी । प्रथम पंचवर्षीय आयोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बड़े पैमाने पर औद्योगिक महत्व के वृक्षों का लगाना था ।

राज्य में अमन और चैन की व्यवस्था सुधार पर रही । मुस्तैदी से की गयी कार्यवाही से तथा बहुत से मामलों में ग्रामीण प्रतिरक्षा समितियों की सहायता से बहुत से डाकुओं के गिरोहों का पता लगाया गया, यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करना बाकी है । सरकार सदैव से ही पुलिस दल में अवांछनीय और भ्रष्ट तत्वों को निर्मूल करने की ओर सजग रही है और इसीलिए सरकारी नौकरों के विरुद्ध रिश्वत और स्वेच्छाचारिता के मामलों में शिकायतों की जांच करने के लिए एक पृथक संघटन निर्मित किया गया था । यह योजना संतोषजनक ढंग से चल रही है और जनता ने इसका समादर किया है । गुप्तचर शाखा की विज्ञान उप-शाखा का पुनर्गठन किया गया है और विधि-विज्ञान की एक नवीनतम प्रयोगशाला लखनऊ में स्थापित करने के निमित्त कार्यवाही की जा रही है ।

दीवानी न्यायालयों में मुकद्दमों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध मे मेरी सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं । मुकद्दमों के दौरान को कम करने के लिये कुछ विधियों में संशोधन किए गए हैं । बढ़ते हुए वाद–निवेशन को संभालने के लिये अधिक न्यायालय खोले गए हैं । हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या २४ कर दी गयी है । अतिरिक्त जजों के दो और पद स्वीकृत किए गये हैं। यू० पी० हायर ज्यूडिशियल सर्विस और यू० पी० सिविल ज्यूडिशियल सर्विस के अफसरों की संख्या हाल ही में बढ़ाई गई

दीवानी न्यायालयों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए भी प्रयास किया गया है । आवश्यकतानुसार नीचे के न्यायालयों के कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ाई गई है ।

प्रशासकीय क्षेत्र में मेरी सरकार के विचारधीन बहुत से परिवर्तन हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार नियुक्त रिआर्गनाइजेशन प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार नियुक्त रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर ने कलेक्टरी के पुनः संघटन के सम्बन्ध में सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट दे दी है इनमें से कुछ सिफारिशें पहले से ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं। विभिन्न कर-विभागों के कार्य में और अधिक दक्षता तथा समन्वय लाने के प्रयोजन से माल बोर्ड का पुनःसंघटन किया जा रहा है ।

शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा अभी तक राज्य का विषय नहीं था किन्तु अब राज्य के ११ बालिकाओं के गवर्नमेंट नार्मल स्कूलों से तथा पच्चीस उन निजी अभिकरणों से, जो पूर्व प्रारम्भिक नर्सरी स्कूल चला रहे हैं, सम्बद्ध आदर्श स्कूलों से शिशु-कक्षाओं को संलग्न करके इस दिशा में पदार्पण करने का निश्चय किया गया है ।

१९४७ से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। १९५५-५६ में ११,८०० स्कूल खोले गये थे अब सारे देश में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भ करने के ध्येय से लोकल बाडीज को मदद देकर ५०० नये प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार है । इनमें से सन् १९५६-५७ में २५० स्कूल खोले जा चुके हैं जोकि बेसिक शिक्षा के ढंग पर चलेंगे । इस साल का महत्वपूर्ण कार्य कक्षा १ से ३ तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है ।

जूनियर हाई स्कूलों तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों में सामान्य शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है । महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में शिल्पी (टेक्निकल) पाठ्यक्रमों के समावेशन के विचार से दस गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जा चुके हैं ।

विश्वविद्यालय की शिक्षा में उन्नति हुई है । आगरा विश्वविद्यालय अब केवल सम्बद्ध करने वाला विश्वविद्यालय नहीं रह गया है । एक हिन्दी की तथा दूसरी सामाजिक विज्ञान की इस प्रकार दो संस्थाओं सहित इसने अब अपना शिक्षण कार्य आरम्भ कर दिया है । दो नये विश्वविद्यालय एक गोरखपुर में तथा दूसरा वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में संभवतः अगले शिक्षा-वर्ष से कार्य करना शुरू कर देंगे । रुड़की का इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय बड़ी तेजी से न केवल भारत में विख्यात संस्था के रूप में अपितु अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में उन्नति कर रहा है। और एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों की सेवा करता चला आ रहा है ।

विगत वर्ष ३०० नये स्कूल खोले गये और २३,००० वयस्क साक्षर बनाये गये । २,००० से अधिक पुस्कालय, वाचनालय और सूचना केन्द्र भी खोले गये ४,७९४ नयी सहकारी समितियां संघटित की गयीं और नये सदस्यों की संख्या १ लाख से अधिक हो गयी ।

मेरी सरकार शिल्पी-शिक्षा के विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है और दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में इस आशय की योजनाएं सम्मिलित कर ली गयीं हैं। भारत और भारत के बाहर शिल्पी एवं वैज्ञानिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए सत्पात्र विद्यार्थियों को नाम-मात्र व्याज की दर पर ऋण देने का भी प्रस्ताव किया गया है । इससे आगे चलकर प्रशिक्षित शिल्पियों की कमी को दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

हमारी शिक्षा संस्थाओं में ही अच्छे समाज निर्माण की नींव रक्खी जानी चाहिए । इस प्रकार नयी व्यवस्था के निर्माण में शिक्षक का योगदान सर्वसम्मत है। अपने साधनों की सीमा में रहते हुये मेरी सरकार लगातार कई प्रकार से शिक्षकों की हालत

सुधारती रही है। उन सुधारों को कार्यान्वित करने के लिये जिनकी आवश्यकता और अपेक्षा विवाद से परे है, साधनों की कमी एक बड़ी कठिनाई रही है। इस समय हमें न चाहते हुए भी इस दिशा में धीमी गति से चलना पड़ रहा है। इस तरह मेरी सरकार का पहला कदम निजी हायर सेकेन्डरी स्कूलों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिये वही चिकित्सा संबंधी देख-भाल और इलाज की सुविधाएं देना है जो सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों में उनके समकक्ष कर्मचारियों को मिलती हैं। इस प्रस्ताव के अन्तिम रूप से स्वीकार हो जाने पर, इन संस्थाओं में काम करने वाले क्लर्कों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त ४३,००० शिक्षकों को लाभ पहुंचेगा। मेरी सरकार आशा करती है कि इससे निजी सेकेन्डरी संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनमें संतोष और दक्षता बढ़ेगी।

२६ सामुदायिक—योजना—खंड अपना सघन कार्य समाप्त कर चुके हैं। और अब सघनोत्तर विकास खंड के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ का आकार कम हो गया है और जन-संख्या के आधार पर परिसीमन के परिणाम स्वरूप सघनोत्तर विकास खंडों की संख्या अब ३३ हो गयी है।

१९५५–५६ तक स्थापित १३५ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में से ६३ खण्ड अब सघन विकास खंड बना दिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने १९५६–५७ वर्ष के लिए ८६ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड प्रदिष्ट किये थे, जिनमें से ८५ खुल चुके हैं। लगभग १६३ करोड़ जन–संख्या के क्षेत्र वाले २९,१०० गांवों में यह योजना फैली हुई है। १९५७–५८ में १४८ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों को स्थापित करने का प्रस्ताव है और इनमें ४० को सघन विकास खंडों के रूप में परिणत करने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार इस वित्तीय वर्ष में इन खंडों पर ६.४ करोड़ खर्च करने की आशा करती है। यह आशा की जाती है कि विकास कार्य उत्तरोत्तर जनता के कार्य-क्रम के रूप में प्रगति करेगा, जिसमें सरकारी पदाधिकारी केवल समन्वय के संगठन तथा शिल्पीय परामर्शदाता के रूप में रहेंगे।

कृषि को, जो आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार है, प्राथमिकता मिलती रही है। उपजाऊ भूमि और नदियों तथा नहरों की व्यवस्था सहित उत्तर प्रदेश प्रगाढ़ और विस्तृत दोनों प्रकार की खेती के लिये उपयुक्त है। अतः अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये विभिन्न-कार्य किये गये।

जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम पंचवर्षीय आयोजन में अन्नोत्पादन की निर्धारित सीमा ११७ लाख ७३ हजार टन थी। १९५४–५५ में हमारा वास्तविक उत्पादन इससे कहीं अधिक था। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में साढ़े बाइस लाख टन अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य है, जिससे कुल उत्पादन १४७ लाख टन हो जायगा। यदि हमारी सारी शक्ति इसी काम में लग जाय तो उत्तर प्रदेश न केवल निर्धारित लक्ष्य को ही प्राप्त कर सकेगा बल्कि उपयुक्त मौसम की स्थितियां प्राप्त होने पर एक बढ़ती वाला राज्य हो जायेगा।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में कृषि कार्य-क्रम को प्राथमिकता दी गयी है और विगत वर्ष ७ लाख मन से अधिक उन्नत बीज वितरित किया गया। पशु रोगों के निरोध, पशु नस्ल के सुधार तथा नयी चारों की फसलों के समारम्भ के निमित्त विशेष ध्यान दिया गया। ११ चुने हुए सघन विकास खंडों में भवनों तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण का कार्य चल रहा है। शुद्ध पीने के पानी के सप्लाई के लिए इन खंडों में ३,२२८ कुएं बनाये गये तथा ३,५०० हाथ के नल लगाये गये लगभग सभी खंडों में नेत्र सहायता शिविर भी चालू किये गये।

सामुदायिक योजना खंडों तथा सघन विकास खंडों में १६६ प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र तथा शिक्षा कक्षाएं चलायी गयीं, जिनमें ७५२ प्रशिक्षार्थियों ने नाम लिखाये। कताई,

बुनाई, चर्मकारी, लोहारी, बढ़ईगीरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, लघु लौह वस्तुओं के निर्माण तथा खेल के सामान के निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। भूतपूर्व प्रशिक्षार्थियों की ५२ औद्योगिक सहकारी समितियां संघटित की गयीं ।

नियोजन, खोज एवं कार्य प्रतिष्ठान अच्छा कार्य करता रहा तथा इसने देश और विदेश का ध्यान आकृष्ट किया। भूमि–संरक्षण, युवक कार्य तथा सहकारी कार्यों में प्रयुक्त अग्रगामी प्रोजेक्टों ने महत्वपूर्ण फल दिखलाया है तथा सम्बद्ध कार्यक्रम विकास विभाग द्वारा अपना लिया गया है ।

पिछली सरकार के कार्य–काल में विधान मंडल से १६५ अधिनियम पारित हुए, जिनमें से निम्नलिखित बड़े महत्वपूर्ण हैं :—

जोत चकबन्दी अधिनियम, रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, भूमि संरक्षण अधिनियम, पथ-परिवहन सेवा विकास अधिनियम, हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, गोवध निवारण अधिनियम, जौनसार बावर जमींदारी–विनाश तथा भूमि –व्यवस्था अधिनियम, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, श्रम–कल्याण अधिनियम, औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, नागर क्षेत्र जमींदारी –विनाश और भूमि –व्यवस्था अधिनियम तथा दन्ड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम ।

मैंने आपके सामने यह लंबा–चौड़ा लेखा विगत पांच वर्षों की सफलताओं का आभास कराने के लिये प्रस्तुत किया ,जिससे कि चलने वाले महत्वपूर्ण कार्य पर उपयुक्त दृष्टिपात हो सके । फिर भी भविष्य में मेरी सरकार की आकांक्षा दूसरे पंचवर्षीय आयोजन को विशेष रूप से कार्यान्वित करने की है। मैं आशा करता हूं कि विधान मंडल पूर्ण रूप से इसमें मेरी सरकार को और यदि सम्भव हुआ तो द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन की नर्धारित सीमाओं को पार करने में, जिन पर कि उत्तर प्रदेश की प्रगति निर्भर है, सहयोग देगा ।

क्योंकि निर्वाचन अभी समाप्त हुए हैं, नया मंत्रिमंडल चालू वित्तीय वर्ष का का बजट न तो प्रस्तुत कर पाया है और न विधान मंडल वर्ष आरम्भ होने से पहले उसे पारित करने में समर्थ हुआ है । इसलिये पिछली सरकार को पिछले विधान मंडल से चालू वित्तीय वर्ष के पांच महीनों तक के लिए लेखानुदान स्वीकार कराना पड़ा ।

नये मंत्रिमंडल ने इस बजट को तैयार करना प्रारम्भ कर दिया है। वह आपके समक्ष कुछ ही महीनों में प्रस्तुत किया जायगा और आपसे सम्बद्ध विनियोग विधेयक पारित करने के लिये निवेदन किया जायेगा ।

अन्य विधेयक जो वर्तमान सत्र में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे ,उनमें उत्तर प्रदेश नगरपालिका निगम विधेयक, कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि –व्यवस्था विधेयक और कुछ प्रकीर्ण संशोधन विधेयक हैं ।

मेरी सरकार एवं भारत का लक्ष्य क्रमिक किन्तु स्थिर रूप से प्रगतिशील समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करना है । यह प्रक्रिया यद्यपि देखने में विशेष महत्व की न हो, तब भी लाभप्रद अवश्य है । इससे विभिन्न हितों में संघर्ष नहीं होगा, जिससे कभी लाभ होता ही नहीं है अपितु हानि अवश्य हो जाती है। हमने सार्वजनिक सद्भावना की स्थिर नींव पर निर्माण करने का निर्णय किया है। यह हमारी प्राकृतिक विचार धारा के अनुकूल है, जिससे हमने अभीष्ट स्वतंत्रता तथा जनतांत्रिक जीवन प्राप्त किया ।

समाजवादी प्रकार के समाज की परिभाषा करना कठिन है किन्तु ऐसे किसी भी समाज में समाज का अन्तर्भूत सिद्धान्त व्यक्तियों के बीच आर्थिक अन्तर को मिटाना रहता है। इस लक्ष्य से मेरी सरकार कुछ विशेष उपाय करती रही है जैसे निम्न-वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों तथा निम्न-आय वाले जन-समूहों के निम्मित सुविधाएं प्रदान करना।

सभी दिशाओं में व्यवस्थित प्रगति करना हमारी सरकार का सतत्प्रयास रहेगा, किन्तु यह प्रयास अविभाज्य है। यह विधान मंडल के सभी वर्गों के हार्दिक समर्थन से ही पूरा हो सकता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा सहयोग प्राप्त होगा।

अंत में आपके समर्थन से में यह आशा प्रकट करता हूं कि सदन के बाहर और भीतर आप सदन के गौरव तथा जन-तांत्रिक परम्पराओं को बनाये रक्खेंगे तथा उन लोगों के हितों की पूर्ति करेंगे, जिन्होंने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है।

मुझे जो कहना था कह चुका। अन्त में,यदि मैं कोई व्यक्तिगत बात कहूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे। यह पांच वर्षों का समय जिसमें मुझे उत्तर प्रदेश में रहने को मिला बड़े ही अनुभव का रहा। जब मैं थोड़े दिन बाद अपने पद से मुक्त होऊंगा तब मैं अपने साथ न केवल विधान मंडल तथा मंत्रियों के, जिनके साथ मैंने काम किया है, सुखद संस्मरण ले जाऊंगा अपितु मैं उन सभी जन-वर्गों के संस्मरण भी ले जाऊंगा जो मुझ पर एक रूप से दयालु रहे। और मैं इस राज्य को, जोकि भारत का एक प्रधान राज्य है, इस विश्वास के साथ छोड़ूंगा कि यह सम्पन्नता की ओर बढ़ता रहेगा और देश की सेवा तथा उस दायित्व के आदर्श की पूर्ति में योगदान देगा, जिस पर कि हमारी परम्पराएं आधारित हैं।

(११ बजकर ५५ मिनट पर श्री राज्यपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात् विधान मंडल के सदस्य भी चले गये।)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ-ग्रहण की अथवा प्रतिज्ञान किया।

१—श्री सोहनलाल धुसिया
२—श्री खुशीराम
३—श्री चित्तरसिंह
४—श्री वीरेन्द्रविक्रमसिंह
५—श्री वंशीधर शुक्ल
} (माननीय अध्यक्ष के कमरे में)

६—श्री शोभनाथ (माननीय अध्यक्ष के निवास स्थान पर)

लखनऊ, २१ चैत्र, शकाब्द १८७९
(११ अप्रैल, १९५७ ई०)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।